

27/10/18

ई-निविदा सूचना सं. 04/2018-19

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए सक्षम क्षेत्री में पंजीकृत फर्मों/ संवेदको जो की राजस्थान सरकार के "बी" "सी" श्रेणी इस विभाग में पंजीकृत एवं अन्य विभाग में "ए" श्रेणी या इससे उपर की श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र मे ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रू लाखों में)	धरोहर राशि रूपयों में		ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क रूपयों में	निविदा शुल्क रूपयों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2 %	1/2 %			
1	2	3	4	5	6	7	8
पक्के खालों का निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार (समस्त सामग्री सीमेंट सहित ठेकेदार की होगी)							
1	चक 1 वी-ग	29.53	59060/-	14765/-	500/-	1000/-	5 माह
2	चक 5 यू	25.59	51180/-	12795/-	500/-	1000/-	5 माह
3	चक 4 यू	47.77	95540/-	23885/-	500/-	1000/-	5 माह
4	चक 4 टी	44.23	88460/-	22115/-	500/-	1000/-	5 माह
5	चक 6 डब्ल्यू	16.77	33540/-	8385/-	500/-	1000/-	5 माह
6	चक 4 डब्ल्यू	44.77	89540/-	22385/-	500/-	1000/-	5 माह
7	चक 1 एस	47.23	94460/-	23615/-	500/-	1000/-	5 माह

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराये। यह निविदा वेबसाइट <http://www.dipronline.org> तथा विभागीय वेबसाइट <http://www.cad.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 01.10.2018 प्रातः 10.30 बजे से 11.10.2018 सांय 3.00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 11.10.2018 सांय 3.00 बजे तक जमा /अपलोड कराये जा सकते है एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 12.10.2018 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 या 5 में दर्शायी गई धरोहर राशी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में भुगतान योग्य बैंक चैक/डीडी संलग्न करनी है।
- कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
- कार्यों से संबंधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.10.2018 प्रातः 10.30 बजे से 11.10.2018 सांय 3.00 बजे तक देखा जा सकता है।
- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 11.10.2018 को सांय 3.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त समबन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।
11. आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन में वर्णित हैं को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।
15. मोटार एवं कंक्रीट मिक्सिंग हेतु पावर मिक्सर का उपयोग अनिवार्य है।
16. नाका शटर एवं फ्रेम यदि विभाग के पास उपलब्ध होने पर उनका उपयोग अनिवार्य होगा। विभाग के पास उपलब्ध होने पर संवेदक को भुगतान नहीं होगा।
17. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी।
18. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रु. 50.00 लाख तक 500/- रुपये व 50.00 लाख से अधिक 1000/- रु. की राशि अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
19. ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश
 - (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - (स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
 - (द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त कम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।
 - (य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई हैं।
 - (र) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।

- (ल) टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
20. संविदाकर्ता/टेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्तें विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
 21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 22. फर्म द्वारा टेंडर अपलोड करने के बाद यदि सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है तो भी एम डी आर आई एस एल जयपुर की निर्धारित फीस रु. 500/- व रु. 1000/- का डीडी अनिवार्य रूप से खण्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा। अन्यथा फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


 अधिशाषी अभियन्ता
 गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-III
 सि.क्षे.वि. श्रीगंगानगर
 दिनांक:-

क्रमांक:-लेखा/2018-19/1663-1689
 27/09/18

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।
1. श्रीमान आयुक्त क्षेत्रीय विकास इमानप बीकानेर।
 2. श्रीमान मुख्य अभियन्ता, (पश्चिम), सी.ए.डी., बीकानेर।
 3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. वृत्त सि.क्षे.वि. बीकानेर/हनुमानगढ/श्री गंगानगर।
 4. श्रीमान नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक वास्ते क्षेत्रीय विकास आयुक्त इ. गा.न.प. बीकानेर को प्रस्तुत कर निवेदन है कि ई-निविदा सूचना सं. 04/2018-19 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।
 5. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता OFD Div-I Bikaner, Gang nahar OFD Div-V karanpur, Gang nahar OFD Div-I Hanumangarh, Gang nahar OFD Div-III Suratgarh, SNIP Div-I Hanumanghar, Ganga Nahar O.F.D. Div-VI Suratgarh, Ganga Nahar O.F.D. Div-VII Sriganganagar
 6. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उत्तर खण्ड/दक्षिण खण्ड/आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. श्रीगंगानगर।
 7. सहायक अभियन्ता गंगनहर सि.क्षे.वि. उपखण्ड-5,6,7 व 8 श्रीगंगानगर/कैसरीसिंहपुर/पदमपुर।
 8. कोन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सा.नि.वि. कैम्पस श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/बीकानेर।
 9. खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ प्रारूपकार/कैशियर खण्ड कार्यालय।
 10. नोटिस बोर्ड


 अधिशाषी अभियन्ता
 गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-III
 सि.क्षे.वि. श्रीगंगानगर